

मुकदमों का विवरण

विजय

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(सिविल अपील सं. 2023 का 4910) 29 नवंबर, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या एस द्वारा बनाई गई स्वीकार्यता की सीमा 135, डी. टी. डी. को बेचने के समझौते पर स्टाम्प अधिनियम 1899 लागू होता है। 04.02.1988 पक्षकारों द्वारा निष्पादित; क्या किसी दस्तावेज की एक प्रति को गौण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज पक्षकार के कब्जे में नहीं है; और क्या, वर्तमान मामले के तथ्यों में, जुपदी केशव राव बनाम पुलावर्थी वेंकट सुभा राव में इस न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होगा जैसा कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है?

डाक टिकट अधिनियम, 1899 -एस. 35-लागू होना-स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1 ए का अनुच्छेद 23-"हस्तांतरण"-स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989-स्टाम्प (मध्य प्रदेश दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1990-अनुच्छेद 23 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया-वर्ष 1989 या 1990 में लाए गए संशोधन से पहले कब्जा सौंपने के लिए समझौता, यदि कोई हस्तांतरण समझौते (ओं) के निष्पादन की तारीख को मौजूद अनुच्छेद 23 के तहत शामिल किया जाता है-इसके अलावा, 1990 के एम. पी. अधिनियम 22 के माध्यम से स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, यदि इसे पूर्वव्यापी रूप से पढ़ा जा सकता है ताकि 04.02.1988 पर निष्पादित बिक्री समझौते पर लागू किया जा सके:

आयोजित किया गया: कारणात्मक संशोधन केवल 1990 में लाया गया था, अर्थात्, विचाराधीन लेन-देन से पहले-अधिकार और दायित्व पैदा करने वाले संशोधन आम तौर पर संभावित प्रकृति के होते हैं-स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण में किसी अप्रत्याशित कर्तव्य को लागू करने या किसी पक्ष को प्रत्याशित लाभ से वंचित करने का प्रभाव नहीं होना चाहिए-अधिनियम में निहित अनुसूची I-A के अनुच्छेद 23 में डाला गया स्पष्टीकरण पक्ष के लिए एक नया दायित्व पैदा करता है और इसलिए, इसे पूर्वव्यापी नहीं दिया जा सकता है।

आवेदन-इस प्रकार, यह इस तरह के संशोधनों से पहले निष्पादित समझौते (ओं) को लागू नहीं करेगा-इसके अलावा, यू/एस प्रदान की गई स्वीकार्यता की सीमा को लागू करने के लिए।³⁵, दो शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि उपकरण शुल्क के साथ प्रभार्य होना चाहिए और इस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है-यदि प्रवेश के लिए मांगे गए दस्तावेज शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं हैं, एस. 35 का कोई अनुप्रयोग नहीं है-इस प्रकार, वर्तमान मामले में, क्योंकि दस्तावेज dtd.04.02 था। 1988, दस्तावेज शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं था-इस प्रकार, जब ऐसे दस्तावेज (दस्तावेजों) पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस पर विधिवत मुहर नहीं लगने के कारण कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है-इसके अलावा, वर्तमान मामले में, विचाराधीन दस्तावेजों की सटीक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि एक पक्ष ने दावा किया कि दूसरे के पास उक्त दस्तावेज थे और दूसरे पक्ष ने कथित रूप से कहा कि यह उसके वकील के पास था-हालांकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त दस्तावेज उक्त वकील से बरामद नहीं किए जा सकते थे-ऐसी स्थिति में, इसलिए, द्वितीयक साक्ष्य की प्रस्तुति की अनुमति दी जा सकती है, यदि अन्य आवश्यकताओं का पालन किया जाता है-द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए वादी की प्रार्थना को तब तक अनुमति दी जानी चाहिए जब तक संबंधित द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने की मांग की गई थी।^{61, 63, 65(क)}-कानूनों की व्याख्या।[पारस 25,26,36,40,44]

डाक टिकट अधिनियम, 1899 -एस. 35-साक्ष्य अधिनियम, 1872-एस. एस.61, 63, 65 - निषिद्ध सामग्री के प्रमाण में द्वितीयक साक्ष्य-वादी और प्रतिवादी ने बेचने के लिए एक समझौता किया-प्रतिवादी ने समझौते के अस्तित्व से इनकार किया-वादी ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का नेतृत्व किया, समझौते की एक प्रति को अन्य दस्तावेजों के साथ, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में बेचने के लिए एक आवेदन दायर किया-वादी ने दावा किया कि दस्तावेज को निष्पादित करने के बाद, प्रतिवादी ने मूल प्रति रखी, और उसी की एक फोटोकॉपी वादी को दी गई थी-हालांकि, आवेदन में किए गए कथनों के अनुसार, प्रतिवादी ने एक हलफनामे में कहा था कि दस्तावेज उसके पास नहीं थे, बल्कि उसके वकील के साथ थे-ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने जुपदी केशव राव पर भरोसा किया

विजय बनाम भारत और हमारा संघ।

कि वादी द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व नहीं कर सकते क्योंकि जिस दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, उस पर विधिवत मुहर लगाने की आवश्यकता थी:

आयोजित किया गया:स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 अपनी सामग्री के प्रमाण में द्वितीयक साक्ष्य को देने से मना करती है-इस धारा में मूल दस्तावेज और उसकी सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य दोनों को शामिल नहीं किया गया है यदि उस पर मुहर लगाने या पर्याप्त रूप से मुहर लगाने की आवश्यकता है-दस्तावेजों की ग्राह्यता के रूप में यह बार निरपेक्ष है-जहां कोई दस्तावेज इस आधार पर साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो उसका द्वितीयक साक्ष्य साक्ष्य में समान रूप से अस्वीकार्य है-जुपदी केशव राव तथ्यों पर भेद करने योग्य है क्योंकि जिस दस्तावेज से न्यायालय संबंधित था वह एक ऐसा दस्तावेज था जो शुल्क के साथ

प्रभार्य था, लेकिन वर्तमान मामले में, ऐसा मामला नहीं है क्योंकि प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज वह नहीं है जो इसके निष्पादन के समय शुल्क के साथ प्रभार्य था अर्थात्।[पैरा 36,40]

डाक टिकट अधिनियम, 1899-एस. एस.35, 2(6):

आयोजित किया गया:एस. 35 उन उपकरणों के साक्ष्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है जो शुल्क के साथ प्रभार्य हैं जब तक कि उन पर "विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है-"प्रभार्य" शब्द, जैसा कि यू/एस को परिभाषित करता है।2(6), इसका अर्थ है लिखत के निष्पादन की तारीख को लागू अधिनियम के तहत प्रभार्य-महत्वपूर्ण तिथि जो लागू कानून को निर्धारित करती है वह लिखत के निष्पादन की तारीख है, और स्टाम्प शुल्क निष्पादन की तारीख के संदर्भ में लिया जाना है-स्टाम्प शुल्क के लिए, प्रासंगिक तिथि निष्पादन की तारीख है न कि निर्णय की तारीख या दस्तावेज की प्रस्तुति या पंजीकरण की तारीख।[पैरा 9,11]

कानूनों की व्याख्या-किसी कानून के लिए स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण की भूमिका और इसे कैसे पहचाना जाता है और एक मूल संशोधन से अलग किया जाता है-इस पर चर्चा की गई।

स्टाम्प/स्टाम्प शुल्क-यह प्रश्न कि क्या दस्तावेज स्टाम्प शुल्क और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है, जिसे सीमा पर तय किया जाना है:

आयोजित किया गया:यह कानून की एक तय स्थिति है कि जहां सवाल यह है कि क्या दस्तावेज स्टाम्प शुल्क और दंड के लिए उत्तरदायी है, तो इसे दस्तावेज को चिह्नित करने से पहले भी सीमा पर तय किया जाना चाहिए-वर्तमान मामले में, विचाराधीन दस्तावेज स्टाम्प शुल्क-डीड्स और दस्तावेजों के लिए उत्तरदायी नहीं था।[पैरा 41]

296 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

साक्ष्य अधिनियम, **1872-ss.61, 63, 65** - द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच करने के लिए प्रासंगिक सिद्धांत।[पैरा **33**] शब्द और वाक्यांश-प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य-चर्चा-साक्ष्य अधिनियम, **1872-एस. एस.61, 63,65. [पैरा 31]**

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सी. आई. टी. बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड [2014] 12 एस. सी. आर. 1037:(2015) 1 एससीसी

1; सीमेंट कार्पोरेशन।ऑफ इंडिया लिमिटेड बनामपुर्या (2004) 8 एस. सी. सी. 270-इसके बाद।जुपदी केशव राव बनाम पुलवर्थी वेंकट सुभा राव [1971] 3 एससीआर

590 :(1971) 1 एससीसी 545-प्रतिष्ठित।

वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त, दिल्ली,

[2007] 2 एससीआर 289:(2007) 9 एससीसी 665; गोविंद दास बनाम आईटीओ [1976] 3 एससीआर

44 :(1976) 1 एससीसी 906; नीरज दत्ता बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2023) 4 एससीसी

731; यशोदा बनाम के. शोभा रानी [2007] 5 एससीआर 367:(2007) 5 एससीसी 730; एम. चंद्र बनाम एम. थंगामुथु [2010] 11 एससीआर 38:(2010) 9 एससीसी 712;

सुरेंद्र कृष्ण रॉय बनाम मुहम्मद सैयद अली मतवाली मिर्जा 1935 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 56; एच. सिद्धीकी बनाम ए. रामलिंगम [2011] 5 एस. सी. आर. 587:(2011)

4 एस. सी. सी. 240-पर निर्भर।

सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य [2011] 11 एससीआर 848:(2012) 1 एससीसी 656; जी. टी. गिरीश बनाम वाई. सुब्बा राजू [2022] 12 एससीसी 321:(2022) 12 एस. सी. सी. 321; घनश्याम सारदा बनाम जे. के. जूट मिल्स कं. लिमिटेड (2017) 1 एस. सी. सी. 599; मुनिशामप्पा बनाम M.Rama रेड्डी और अन्य, सिविल अपील सं. 2011 का 10327; हरिओम अग्रवाल बनाम प्रकाश चंद मालवीय [2007] 10 एससीआर 772

:(2007) 8 एस. सी. सी. 514-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 4910/2004 के डब्ल्यू. पी. No.741 में जबलपुर में एम. पी. प्रधान सीट के उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

डॉ. मेनका गुरुस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौतम अवस्थी, उत्कर्ष प्रताप, लवकेश भंभानी, हर्षवर्धन ठाकुर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

297

विजय बनाम भारत और हमारा संघ।

अक्षय अमृतांशु, प्रणय रंजन, अर्काज कुमार, सुश्री खुशबू कपूर, प्रत्यूष श्रीवास्तव, अरविंद कुमार शर्मा, सनी चौधरी, सुश्री अर्चना शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

संजय करोल जे।

1. वर्तमान अपील में इस न्यायालय के विचार के लिए जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं वे हैं:

1.1 क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 द्वारा बनाई गई स्वीकार्यता की सीमा पक्षों द्वारा निष्पादित दिनांक 04.02.1988 को बेचने के समझौते (ओं) पर लागू होती है?

1.2 क्या किसी दस्तावेज की एक प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज पक्ष के कब्जे में नहीं है? 1.3 क्या, वर्तमान मामले के तथ्यों में, का निर्णय होगा

जुपदी केशव राव बनाम पुलवर्थी वेंकट सुभा में यह न्यायालय

राव 2 बाध्यकारी होगा जैसा कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है?

फैक्ट मैट्रिक्स

2. वादी और प्रतिवादी ने 04.02.1998 पर बेचने के लिए एक समझौता किया, और उसके अनुसार, वादी को कथित रूप से प्रतिवादी द्वारा कब्जे में ले लिया गया। जब प्रतिवादी ने इस तरह के समझौते के अस्तित्व से इनकार किया, तो वादी ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे का नेतृत्व किया। उक्त मुकदमे में, वादी ने अन्य दस्तावेजों के साथ, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में बेचने के लिए समझौते की एक प्रति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

3. प्रारंभ में, उक्त आवेदन को चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.07.2001 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। लेकिन जब प्रतिवादी ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की, तो अदालत ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इसकी समीक्षा की और कहा कि बेचने के समझौते के द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे उचित मुहर पर निष्पादित नहीं किया गया था, इस प्रकार धारा के तहत वर्जित किया गया था।

1 इसके बाद 'स्टाम्प अधिनियम' 2 (1971) 1 एस. सी. सी. 545 (2-न्यायाधीश पीठ) के रूप में संदर्भित किया गया है।

298

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

35 डाक टिकट अधिनियम। ऐसा मानते हुए, इसने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

जुपदी केशव राव (ऊपर) में।

4. इसके बाद, वादी ने समीक्षा आदेश और स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका का नेतृत्व किया। उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. सं. <आई. डी. 2 में दिनांकित 30.11.2009 के विवादित आदेश के माध्यम से उक्त धारा की वैधता और समीक्षा न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

5. उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी जाती है।⁶ याचिकाकर्ता-वादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मेनका गुरुस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 का निषेध लागू नहीं है क्योंकि किसी भी पक्ष के लिए समझौते के निष्पादन के समय (1989 के संशोधन से पहले) स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, वादी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में बेचने के लिए समझौते की एक प्रति ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

7. उत्तरदाता नं.2/प्रतिवादी ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि मूल दस्तावेज की एक प्रति जिस पर मुहर नहीं लगाई गई है या जिस पर वैज्ञानिक रूप से मुहर लगाई गई है, उसे न तो जब्त किया जा सकता है और न ही मान्य किया जा सकता है और न ही द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एक बार जब मूल दस्तावेज स्टाम्प अधिनियम के तहत अस्वीकार्य हो जाता है, तो फोटोकॉपी या किसी अन्य प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मुद्दा 1

8. इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 को पुनः प्रस्तुत करना उचित है:

“धारा 35-दस्तावेज जिन पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वे साक्ष्य आदि में अस्वीकार्य हैं।- कर्तव्य के साथ प्रभार्य किसी भी लिखत को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसे कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, या उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा, जब तक कि ऐसे लिखतों पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है: बशर्ते कि -

((क) ऐसा कोई भी लिखत उस शुल्क के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसके साथ वह प्रभार्य है या उस उपकरण के मामले में, जिस पर वैज्ञानिक रूप से मुहर लगी है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि के साथ-साथ पांच रुपये के जुर्माने के साथ, या जब दस गुना 299 हो।

विजय बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे.] 300

उचित शुल्क या उसके अवज्ञाकारी हिस्से की राशि ऐसे शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि की राशि से अधिक है।

××××”

9. धारा के एक नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह उन उपकरणों के साक्ष्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है जो शुल्क के साथ प्रभार्य हैं जब तक कि उन पर "विधिवत मुहर" नहीं लगाई जाती है।" डाक टिकट अधिनियम की धारा 2 (11) के तहत अवज्ञा के रूप में विधिवत मुहर लगाने

का अर्थ है कि उपकरण पर एक डाक टिकट है और इस तरह की डाक टिकट को भारत में कुछ समय के लिए लागू कानून के अनुसार लगाया या उपयोग किया गया है।

10. इसके अलावा, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि दस्तावेज कब शुल्क के साथ प्रभार्य हो जाता है-इसके निष्पादन के दौरान या जब इसे अदालत के समक्ष पेश किया जाता है।

11. 'प्रभार्य' शब्द, जैसा कि धारा 2 (6) के तहत परिभाषित किया गया है, का अर्थ है लिखत के निष्पादन की तारीख से लागू अधिनियम के तहत प्रभार्य। महत्वपूर्ण तिथि जो लागू कानून को निर्धारित करती है, वह उपकरण के निष्पादन की तारीख है, और स्टाम्प शुल्क निष्पादन की तारीख के संदर्भ में लिया जाना है। स्टाम्प शुल्क के लिए, प्रासंगिक तिथि निष्पादन की तारीख है न कि निर्णय की तारीख या दस्तावेज की प्रस्तुति और पंजीकरण की तारीख।

12. भारत के संविधान की सूची III की प्रविष्टि 44 न्यायिक टिकटों के माध्यम से एकत्र किए गए शुल्क या शुल्क के अलावा स्टाम्प शुल्क है, लेकिन इसमें स्टाम्प शुल्क की दरें शामिल नहीं हैं। सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत, सभी दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क लगाने की शक्ति समवर्ती है। लेकिन इस तरह के शुल्क की "दर" निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है और यह राज्य विधानमंडल के अधीन है। राज्य विधानमंडल सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत स्टाम्प शुल्क लगाने और सूची II की प्रविष्टि 63 के तहत शुल्क की दरें निर्धारित करने में सक्षम है। 13. हालाँकि, यदि प्रपत्र सूची I की प्रविष्टि 91 में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो दर निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद के पास होगी, और अन्य सभी प्रपत्रों या दस्तावेजों के लिए, ऐसी शक्ति सूची II की प्रविष्टि 63 के तहत राज्य विधानमंडल के पास होगी।

14. शुल्क के साथ प्रभार्य लिखतों को अधिनियम की धारा 3 के तहत अवहेलना की जाती है, जो दर्शाता है कि अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लिखत, अपवाद या छूट के अधीन, राशि के शुल्क के साथ प्रभार्य होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

जो उस अनुसूची में उसके उचित कर्तव्य के रूप में इंगित किया गया है। समय-समय पर स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किए गए हैं और मध्य प्रदेश राज्य के लिए लागू अनुसूची आई-ए को जोड़ा गया है। 3 यह अनुसूची विशिष्ट मुद्रांक शुल्क को निर्दिष्ट करती है जिसका भुगतान विशिष्ट उपकरणों पर किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, अनुसूची में उल्लिखित उपकरण शुल्क के अधीन नहीं हैं।

15. स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1 ए का अनुच्छेद 23 परिवहन से संबंधित है। "परिवहन" की अवज्ञा स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (10) में निहित है जो निम्नानुसार है:

“(10) ‘परिवहन।’—’परिवहन’ में बिक्री पर एक वाहन और प्रत्येक उपकरण शामिल है जिसके द्वारा संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, अंतर-व्यक्तिगत रूप से हस्तांतरित की जाती है और जो अन्यथा अनुसूची I द्वारा निर्दिष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है।

बेचने के लिए एक समझौते (1988) के निष्पादन के समय, वाहन पर स्टाम्प शुल्क लगाया गया था और अनुच्छेद 23 इस प्रकार था:

“23. परिवहन, जो हस्तांतरण शुल्क नहीं है या अनुच्छेद No.62 के तहत छूट प्राप्त है: जहाँ संपत्ति का बाजार जो परिवहन का विषय है -

रुपये से अधिक नहीं है। 50.

ऐसे बाजार मूल्य का चार प्रतिशत

न्यूनतम एक रुपया रुपये से अधिक नहीं है। इस तरह के बाजार मूल्य का सात प्रतिशत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है। 10, 000

इस तरह के बाजार मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।

बशर्ते कि यदि देय शुल्क की कुल राशि पचास पैसे की गुणक नहीं है, तो इसे एक रुपये या उससे अधिक के निकटतम आधे रुपये में एक रुपये के रूप में गिना जाएगा और आधे रुपये से कम की अवहेलना की जाएगी।”

3 मध्य प्रांत और बरार भारतीय डाक टिकट (संशोधन) अधिनियम, 1939 301

विजय बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे.] 303

16. अनुच्छेद 23 को 1989 के एम. पी. संशोधन अधिनियम संख्या 19 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और यह इस प्रकार था:

ऐसे बाजार मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत:

“ए आर टी आई सी एल ई 2,3।सी. ओ. एन. वी. ई. या एन. सी. ई., एक हस्तांतरण प्रभारित या उदाहरण पी. टी. ई. डी. यू. एन. डी. आर. नहीं है। 62 संपत्ति के बाजार मूल्य की परवाह किए बिना जो हस्तांतरण का विषय है।

बशर्ते कि यदि देय शुल्क की कुल राशि पचास पैसे का गुणक नहीं है, तो एक रुपये या उससे अधिक के निकटतम रुपये को एक रुपये के रूप में गिना जाता है और एक रुपये के आधे से कम की उपेक्षा की जाती है।

छूट

xxx”

17. इसके अलावा, 1990 के एम. पी. संशोधन अधिनियम संख्या 22 के माध्यम से इस अनुच्छेद में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था।

“इस अनुच्छेद का उद्देश्य, जहां अचल संपत्ति बेचने के समझौते के मामले में, किसी भी अचल संपत्ति का कब्जा निष्पादन से पहले या ऐसे समझौते के निष्पादन के बाद उसके संबंध में

हस्तांतरण को निष्पादित किए बिना खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है, तो बेचने के लिए ऐसा समझौता एक हस्तांतरण माना जाएगा और उस पर मुद्रांक शुल्क तदनुसार लगाया जाएगा:XXX "

18. न्यायालय जिस उप-मुद्दे का सामना कर रहा है, वह यह है कि क्या वर्ष 1989 या 1990 में लाए गए संशोधन से पहले कब्जा सौंपने का समझौता एक हस्तांतरण है, जो समझौते के निष्पादन की तारीख पर मौजूद अनुच्छेद 23 के तहत आता है। इस पहलू पर हम केवल यह देख सकते हैं कि कारणात्मक संशोधन केवल 1990 में लाया गया था, यानी विचाराधीन लेन-देन से पहले। और इसकी तीन-न्यायाधीशों की पीठ

सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य 6 में

बेचने के समझौते के दायरे पर विचार करते हुए इस प्रकार देखा गया:

4 भारतीय डाक टिकट (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989

5 भारतीय डाक टिकट (मध्य प्रदेश दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1990 6 (2012) 1 एस. सी. सी. 656

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

“18. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिक्री के माध्यम से अचल संपत्ति का हस्तांतरण केवल हस्तांतरण विलेख (बिक्री विलेख) द्वारा किया जा सकता है। हस्तांतरण विलेख (विधिवत मुहर और कानून द्वारा आवश्यक रूप से पंजीकृत) के अभाव में, किसी अचल संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

19. बिक्री का कोई भी अनुबंध (बेचने का समझौता) जो परिवहन का पंजीकृत विलेख (बिक्री विलेख) नहीं है, टी. पी. अधिनियम की धारा 54 और 55 की आवश्यकताओं से कम होगा और न ही किसी अचल संपत्ति में कोई अधिकार प्रदान करेगा और न ही कोई ब्याज हस्तांतरित करेगा (टी. पी. अधिनियम की धारा 53-ए के तहत दिए गए सीमित अधिकार को छोड़कर)। टी. पी. अधिनियम के अनुसार, बिक्री का समझौता, चाहे कब्जे के साथ हो या कब्जे के बिना, एक हस्तांतरण नहीं है। टी. पी. अधिनियम की धारा 54 में कहा गया है कि अचल संपत्ति की बिक्री केवल एक पंजीकृत साधन द्वारा की जा सकती है और बिक्री का समझौता इसके विषय-वस्तु पर कोई ब्याज या शुल्क नहीं लगाता है।”

(जोर दिया गया) 19. जी. टी. गिरीश बनाम वाई. सुब्बा राजू 7 में विचार किए गए निर्णय की स्थिति,

और घनश्याम सारदा बनाम जे. के. जूट मिल्स कं. लिमिटेड 8 में, बिना

कोई भी परिवर्तन। इस सिद्धांत को हाल ही में मुनीशमप्पा बनाम में दोहराया गया था।

M.Rama रेड्डी और अन्य। 9.

20. यह देखा जा सकता है कि अब, कई राज्यों में, संशोधन लाए गए थे, जिसके तहत कब्जे की डिलीवरी को स्वीकार करने वाले बिक्री समझौतों पर वही शुल्क लगाया जाता है जो परिवहन पर लगाया जाता है।

21. अब सवाल यह उठता है कि क्या हम 1990 के एम. पी. अधिनियम 22 द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण को पूर्वव्यापी रूप से पढ़ सकते हैं ताकि 04.02.1988 पर निष्पादित बिक्री के समझौते पर लागू किया जा सके।

22. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ 10 ने एक कानून के लिए स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण की भूमिका पर सिद्धांतों को समाप्त करते हुए कहा कि कैसे इसकी पहचान की जाती है और एक मूल संशोधन से अलग किया जाता है।

7 (2022) 12 एससीसी 321 8 (2017) 1 एससीसी 599

9 2011 की सिविल अपील संख्या 10327 10 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 640 303

विजय बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे.] 304

केवल इसलिए कि किसी प्रावधान को स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण के रूप में वर्णित किया गया है, न्यायालय उक्त कथन से बाध्य नहीं है, बल्कि उसे संशोधन की प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या यह वास्तव में एक स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक प्रावधान है या क्या यह एक मूल संशोधन है जिसका उद्देश्य कानून को बदलना है और जो संभावित रूप से लागू होगा।

23. "स्पष्टीकरण" या "स्पष्टीकरण" के रूप में किसी प्रावधान का मात्र वर्णन इसके वास्तविक प्रभाव को निर्धारित नहीं करता है। इस पहलू पर, यह न्यायालय

वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, दिल्ली **11**

निम्नलिखित रूप में देखा गया: “भले ही कानून में प्रभावी अधिनियम के लिए एक बयान हो कि संशोधन घोषणात्मक या स्पष्टीकरणात्मक है, वह मामले का अंत नहीं है। न्यायालय स्वयं को कानून में उक्त कथन से बाध्य नहीं मानेगा, लेकिन संशोधन की प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ेगा और फिर यह निष्कर्ष निकालेगा कि क्या यह वास्तव में एक स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक प्रावधान है या क्या यह एक संशोधन है जिसका उद्देश्य कानून को बदलना है और जो भविष्य की अवधियों पर लागू होता है।” 24. गोविंद दास बनाम आई. टी. ओ. 12 में इस न्यायालय ने कहा है:

“11. अब यह समय द्वारा पवित्र और न्यायिक निर्णयों द्वारा पवित्र की गई व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि, जब तक कि किसी कानून की शर्तों में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं किया जाता है या आवश्यक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तब तक किसी कानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को छीन या बाधित किया जा सके या एक नया दायित्व बनाया जा सके या प्रक्रिया के मामलों के संबंध में अन्यथा एक नया दायित्व लगाया जा सके। सामान्य नियम, जैसा कि हैल्सबरी ने खंड में कहा है। इंग्लैंड के कानूनों की

धारा 36 (तीसरी संस्करण) और इस न्यायालय के साथ-साथ अंग्रेजी न्यायालयों के कई निर्णयों में दोहराया गया है कि

“उन कानूनों के अलावा अन्य सभी कानून जो केवल घोषणात्मक हैं या जो केवल प्रक्रिया या साक्ष्य के मामलों से संबंधित हैं, प्रथम दृष्टया संभावित हैं।

11 (2007) 9 एससीसी 665 12 (1976) 1 एससीसी 906

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

और यदि अधिनियम को ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो किसी भी व्याख्या के लिए काफी सक्षम है, तो इसे केवल संभावित के रूप में माना जाना चाहिए।” (जोर दिया गया) 25।सी. आई. टी. बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड 13 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया कि अधिकार और दायित्व पैदा करने वाले संशोधन आम तौर पर संभावित प्रकृति के होते हैं। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण में किसी अप्रत्याशित कर्तव्य को लागू करने या किसी पक्ष को प्रत्याशित लाभ से वंचित करने का प्रभाव नहीं होना चाहिए।

26. इसलिए, हमारे सुविचारित विचार में, अधिनियम में निहित अनुसूची I-A के अनुच्छेद 23 में डाला गया स्पष्टीकरण पक्ष के लिए एक नया दायित्व पैदा करता है और इसलिए, इसे पूर्वव्यापी आवेदन नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, यह ऐसे संशोधनों से पहले किए गए समझौते (समझौतों) को लागू नहीं करेगा।

27. मुद्रांक अधिनियम का उद्देश्य किसी ऐसे उपकरण या वाहन पर उचित मुद्रांक शुल्क एकत्र करना है जिस पर ऐसा मुद्रांक शुल्क देय है। धारा 35 उन उपकरणों को पूरा करने के लिए एक प्रावधान है जिन पर ठीक से मुहर नहीं लगाई जा रही है और इस तरह, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। जिस दस्तावेज पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, उसे किसी भी उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस धारा के तहत प्रदान की गई स्वीकार्यता की सीमा को लागू करने के लिए, निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है:

(i) उपकरण शुल्क के साथ प्रभार्य होना चाहिए; (ii) इस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है।

28. यदि स्वीकार किए जाने के लिए मांगे गए दस्तावेज शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं हैं, तो धारा 35 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, चूंकि दस्तावेज दिनांकित 04.02.1988 था, इसलिए उपकरण शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं था। इससे यह पता चलता है कि जब ऐसे दस्तावेजों पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाने के कारण कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

आई. एस. यू. ई. II और III

29. वादी आवेदन में दावा करता है कि दस्तावेज को निष्पादित करने के बाद, प्रतिवादी ने मूल प्रति रख ली, और उसी की एक फोटोकॉपी दी गई

13 (2015) 1 एससीसी 1 305

विजय बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे.] 303

वादी को। हालांकि, आवेदन में किए गए कथनों के अनुसार, प्रतिवादी ने एक हलफनामे में कहा था कि दस्तावेज उसके पास नहीं थे, बल्कि उसके वकील के पास थे।

30. चर्चा के साथ आगे बढ़ने से पहले, साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना और द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित कानून पर चर्चा करना अनिवार्य है:

“धारा 61-दस्तावेजों की सामग्री का प्रमाण-दस्तावेजों की सामग्री को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। धारा 63-द्वितीयक साक्ष्य।-द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं -

(1) इसके बाद के प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियां; (2) यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां जो स्वयं में प्रतिलिपि की सटीकता का बीमा करती हैं, और ऐसी प्रतियों की तुलना में प्रतियां;

(3) मूल से बनाई गई या उससे तुलना की गई प्रतियाँ;

(4) उन पक्षों के खिलाफ दस्तावेजों के समकक्ष जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया; (5) किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक खाते जिन्होंने खुद इसे देखा है।

धारा 65-ऐसे मामले जिनमें दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य

दिया जा सकता है।- निम्नलिखित मामलों में किसी दस्तावेज के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है-(ए) जब मूल दिखाया जाता है या कब्जे या शक्ति में प्रतीत होता है -

जिस व्यक्ति के विरुद्ध दस्तावेज को साबित करने की इच्छा की जाती है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो न्यायालय की प्रक्रिया की पहुंच से बाहर है या उसके अधीन नहीं है, या

इसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किसी भी व्यक्ति का,

और जब, धारा **66** में उल्लिखित सूचना के बाद, ऐसा व्यक्ति इसे प्रस्तुत नहीं करता है;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

(ख) जब मूल के अस्तित्व, शर्त या सामग्री को उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया गया है जिसके खिलाफ यह साबित किया गया है या उसके प्रतिनिधि द्वारा ब्याज में स्वीकार किया गया है;

(ग) जब मूल को नष्ट कर दिया गया हो या खो दिया गया हो, या जब पक्षकार अपनी गलती या उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य कारण से इसकी सामग्री का सबूत प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो उसे उचित समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) जब मूल ऐसी प्रकृति का हो कि आसानी से चल न जाए; (ङ) जब मूल धारा 74 के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक दस्तावेज हो;

(च) जब मूल एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस अधिनियम द्वारा या 91 [भारत] में लागू किसी अन्य कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में देने की अनुमति है;

(छ) जब मूल दस्तावेजों में कई खाते या अन्य दस्तावेज होते हैं जिनकी अदालत में आसानी से जांच नहीं की जा सकती है, और साबित किया जाने वाला तथ्य पूरे संग्रह का सामान्य परिणाम है।

(ए), (सी) और (डी) मामलों में दस्तावेज की सामग्री का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है।

(ख) के मामले में, लिखित प्रवेश स्वीकार्य है।

(ई) या (एफ) के मामले में, दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, लेकिन कोई अन्य प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।

(छ) मामले में, किसी भी व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों के सामान्य परिणाम के रूप में साक्ष्य दिया जा सकता है जिसने उनकी जांच की है, और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच में कुशल है।”

31. सीमेंट निगम में इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य की व्याख्या की गई है।ऑफ इंडिया लिमिटेड बनामपुर्या, 14 (5-न्यायाधीशों की पीठ) के रूप में पहला सबूत है कि कानून को पहले दिए जाने की आवश्यकता है, दूसरा सबूत है जो उस मूल सबूत के अभाव में दिया जा सकता है जब इसकी अनुपस्थिति का उचित स्पष्टीकरण दिया गया हो।

14 (2004) 8 एस. सी. सी. 270 307

विजय बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे.] 308

दिया गया।"प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य" शब्द उन प्रमाणों के प्रकारों पर लागू होते हैं जो किसी दस्तावेज की सामग्री को दिए जा सकते हैं, भले ही ऐसी सामग्री, जब साबित हो, उस उद्देश्य के लिए प्राप्त की जा सकती हो।

32. साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 एक विस्तृत अवज्ञा प्रदान करती है जो यह घोषणा करती है कि द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ उसमें उल्लिखित विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हैं और इसमें शामिल हैं।साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 दस्तावेजों के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री के बारे में उसमें उल्लिखित

परिस्थितियों में गौण साक्ष्य देने की अनुमति देती है। यह उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करता है जिनमें द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग तब किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज अनुपलब्ध या दुर्गम हो। कानूनी कार्यवाही में सफलतापूर्वक द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उचित प्रलेखन और प्रमाणीकरण सहित इन धाराओं में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।

33. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को पढ़ने के बाद, हम द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच करने के लिए प्रासंगिक निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुमान लगा सकते हैं:

33.1 कानून के लिए सबसे अच्छा सबूत, यानी प्राथमिक सबूत दिए जाने की आवश्यकता होती है।
15

33.2 साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 उन दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करती है जिन्हें द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो केवल प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में ही स्वीकार्य हैं।
16

33.3 यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध है, तो इसे प्राथमिक साक्ष्य के लिए निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और साबित करना होगा। जब तक सबसे अच्छा सबूत कब्जे में है या पेश किया जा सकता है या पहुँचा जा सकता है, तब तक कोई कम सबूत नहीं दिया जा सकता है।¹⁷

33.4 एक पक्ष को सामग्री के प्राथमिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए, और केवल असाधारण मामलों में ही द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य होगा। अपवाद राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।

15 नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (5-न्यायाधीश पीठ) (2023) 4 एस. सी. सी. 731; यशोदा बनाम के. शोभा रानी (2-न्यायाधीश पीठ) (2007) 5 एस. सी. सी. 730

16 यशोदा (ऊपर)

17 यशोदा (ऊपर)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

जब कोई पक्ष वास्तव में उस पक्ष की गलती के बिना मूल का उत्पादन करने में असमर्थ हो।¹⁸

33.5 जब किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता पर्याप्त रूप से और ठीक से समझाई जाती है, तो द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है।¹⁹

33.6 द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब पक्ष अपने चूक या उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी भी कारण से मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता है।²⁰

33.7 जब मूल दस्तावेज के अभाव में प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो वे अच्छे गौण साक्ष्य बन जाते हैं। फिर भी, इस बात का मूलभूत प्रमाण होना चाहिए कि कथित प्रतिलिपि मूल की एक वास्तविक प्रतिलिपि है।²¹

33.8 किसी दस्तावेज की सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले, मूल के गैर-प्रस्तुत होने का हिसाब इस तरह से किया जाना चाहिए जो इसे धारा में दिए गए मामलों में से एक या दूसरे के भीतर ला सके।²²

33.9 न्यायालय द्वारा केवल किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करना और उसे प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करना उसकी सामग्री का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता है।²³ इसे कानून के अनुसार साबित करना होगा।²⁴

34. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (ए) को पढ़ने से निम्नलिखित पता चलता है:

ए। द्वितीयक साक्ष्य को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज/प्राथमिक साक्ष्य विरोधी पक्ष के कब्जे में हो या किसी तीसरे पक्ष के पास हो।

18 एम. चंद्र बनाम एम. थंगामुथु (2-न्यायाधीशों की पीठ) (2010) 9 एससीसी 712 19 नीरज दत्ता (ऊपर)

20 सुरेंद्र कृष्ण रॉय बनाम मुहम्मद सैयद अली मतवाली मिर्जा 1935 एससीसी ऑनलाइन पीसी 56

21 एच. सिद्धीकी बनाम ए. रामलिंगम, (2-न्यायाधीश पीठ) (2011) 4 एससीसी 240 22 एच. सिद्धीकी बनाम ए. रामलिंगम (2-न्यायाधीश पीठ) (2011) 4 एससीसी 240 23 नीरज दत्ता (ऊपर)

24 एच. सिद्धीकी (ऊपर)

309

विजय बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे.] 310

बी। ऐसा व्यक्ति उचित सूचना के बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार कर देता है,

ग. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कथित प्रति मूल की वास्तविक प्रति है।

35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (ए) के घटकों को वर्तमान तथ्यों पर लागू करते हुए, किए गए अभिकथनों के संदर्भ में, हम मानते हैं कि विचाराधीन दस्तावेजों की सटीक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि एक पक्ष दावा करता है कि दूसरे के पास उक्त दस्तावेज हैं और दूसरे ने कथित रूप से कहा है कि यह उसके वकील के पास था। हालांकि, अभिलेखों के अनुसार उक्त दस्तावेज उक्त वकील से बरामद नहीं किए जा सके। ऐसी स्थिति में, यदि अन्य आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो द्वितीयक साक्ष्य की प्रस्तुति की अनुमति दी जा सकती है।

36. अब हम स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 पर विचार कर सकते हैं जो इसकी सामग्री के प्रमाण में द्वितीयक साक्ष्य देने से मना करती है। इस खंड में मूल उपकरण और इसकी सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य दोनों को शामिल नहीं किया गया है यदि इस पर मुहर लगाने या पर्याप्त रूप से मुहर लगाने की आवश्यकता है। दस्तावेजों की स्वीकार्यता के रूप में यह प्रतिबंध पूर्ण है। जहां कोई दस्तावेज इस

आधार पर साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, वहां उसका द्वितीयक साक्ष्य साक्ष्य में समान रूप से अस्वीकार्य है।

37. बिना मोहर वाले/बिना मोहर वाले दस्तावेजों के द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में, इस न्यायालय द्वारा जुपुडी केशव राव (उपरोक्त) में स्थिति को संक्षिप्त रूप से समझाया गया है, जिसमें उसने एक मुद्दे पर विचार किया है, अर्थात्, क्या पट्टा देने के लिए लिखित समझौते के द्वितीयक साक्ष्य का स्वागत स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 और 36 के प्रावधानों द्वारा वर्जित है और इसका उत्तर प्रत्यावेदन में दिया गया है। यह देखा गया:

“12. हालाँकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य उन दस्तावेजों की स्वीकार्यता से निपटना नहीं है जिन पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुहर लगाने की आवश्यकता होती है।

.....

13. धारा 35 का पहला अंग स्पष्ट रूप से कर्तव्य के साथ प्रभार्य किसी भी उपकरण को साक्ष्य से बाहर कर देता है जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लग जाए। इसका दूसरा अंग जो उपकरण पर कार्य करने से संबंधित है, स्पष्ट रूप से इस तरह के उपकरण के किसी भी माध्यमिक साक्ष्य को बंद कर देगा, क्योंकि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

ऐसे साक्ष्य को तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब मूल रूप से स्वीकार किए गए शुल्क के साथ आरोपित पर मुहर नहीं लगाई गई थी या जानबूझकर मुहर नहीं लगाई गई थी, यह उस दस्तावेज के समान होगा जिस पर कानून या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। प्रावधान (ए) केवल तभी लागू होता है जब मूल लिखत वास्तव में न्यायालय के समक्ष होती है और दस्तावेज पर भरोसा करने की इच्छा रखने वाले पक्ष द्वारा जुर्माने के साथ डाक टिकट में अवज्ञा का भुगतान किया जाता है। स्पष्ट रूप से अप्रकाशित दस्तावेज की सामग्री के मौखिक साक्ष्य के रूप में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 द्वारा कवर की गई इसकी प्रति से द्वितीयक साक्ष्य उस परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा जो प्राधिकरण को दस्तावेज के अलावा साक्ष्य में कुछ भी प्राप्त करने का आदेश देता है। धारा 25 किसी लिखत की किसी भी प्रति से संबंधित नहीं है और एक पक्ष को केवल उस दस्तावेज पर भरोसा करने की अनुमति दी जा सकती है जो धारा 35 के उद्देश्य के लिए एक साधन है। “धारा 2 (14) में लिखत को प्रत्येक दस्तावेज को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व बनाया, हस्तांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या दर्ज किया जाना है। डाक्यूमेंट की एक प्रति को स्टाम्प एक्ट के उद्देश्य के लिए एक उपकरण के रूप में शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

यदि धारा 35 केवल मूल उपकरणों से संबंधित है न कि प्रतियों से, तो धारा 36 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि किसी उपकरण के द्वितीयक साक्ष्य को इसका लाभ मिले।”

(जोर दिया गया)

38. यह न्यायालय, हरिओम अग्रवाल बनाम प्रकाश चंद मालवीय 25,

जुडुपी केशव राव (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया और कहा कि:

“10. इस न्यायालय के निर्णयों और अधिनियम की धारा 33,35 और 2 (14) के एक सादे पठन से यह स्पष्ट है कि एक उपकरण जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, उसे जब्त किया जा सकता है और जब ऐसे उपकरण के लिए आवश्यक शुल्क और जुर्माना का भुगतान किया गया है तो इसे स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। धारा 33 या 35 लिखत की किसी भी प्रति से संबंधित नहीं हैं और पक्ष को केवल इस पर भरोसा करने की अनुमति दी जा सकती है -

25 (2007) 8 एससीसी 514 311

विजय बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे.] 312

दस्तावेज जो धारा 2 (14) के अर्थ के भीतर एक साधन है।स्टाम्प एक्ट के उद्देश्यों के लिए दस्तावेज की प्रति को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि दस्तावेज की प्रति को जब्त करके मान्य नहीं किया जा सकता है और इसे स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”39. इस प्रकार, यदि एक दस्तावेज जिस पर मुहर लगाने की आवश्यकता होती है, उस पर पर्याप्त रूप से मुहर नहीं लगाई जाती है, तो कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय की जाती है कि माध्यमिक साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज की एक प्रति पेश नहीं की जा सकती है। हालाँकि, वर्तमान तथ्य अलग हैं।40. निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने जुपाडी केशव राव (उपरोक्त) पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए भरोसा किया है कि वादी द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज पर विधिवत मुहर लगाने की आवश्यकता है।तथापि, हम यह मानते हैं कि जुपदी केशव राव (उपर्युक्त) तथ्यों के आधार पर विभेदक हैं क्योंकि जिस दस्तावेज से न्यायालय संबंधित था, वह ऐसा था जो शुल्क के साथ प्रभार्य था, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा मामला नहीं है, अर्थात् प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज वह नहीं है जो इसके निष्पादन के समय शुल्क के साथ प्रभार्य था, अर्थात् 04.02.1988।यह एक भौतिक अंतर होने के कारण, इस मामले में अभिनिर्धारित विधि का सिद्धांत, जो भी सही हो, तत्काल मामले पर लागू नहीं होगा।

41. यह कानून की एक तय स्थिति है कि जहां सवाल यह है कि क्या दस्तावेज स्टाम्प शुल्क और दंड के लिए उत्तरदायी है, उसे दस्तावेज को चिह्नित करने से पहले ही सीमा पर तय करना होगा। वर्तमान मामले में, उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन दस्तावेज मुद्रांक शुल्क के

लिए उत्तरदायी नहीं था।⁴² इस प्रकार, उपर्युक्त सिद्धांत के साथ-साथ उपरोक्त चर्चा किए गए मामले की कानून और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि तत्काल मामले में, द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए वादी की प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां तक कि दस्तावेजों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने की मांग की गई है, संबंधित न्यायालय द्वारा लिया जाना चाहिए और प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसकी स्वीकार्यता साक्ष्य अधिनियम के तहत कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से तय की जा रही है।

43. इस तात्कालिक विवाद में उठाए गए मुद्दों पर निम्नलिखित शब्दों में निर्णय लिया जाता है:

43.1 प्रथम मुद्दे का उत्तर नकारात्मक रूप से दिया जाता है क्योंकि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए संबंधित दस्तावेजों पर संबंधित अवधि में मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

43.2 दूसरे मुद्दे का जवाब एफिर्मेटिव में दिया गया है। यदि अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो दस्तावेज की एक प्रति को माध्यमिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

43.3 जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तीसरे मुद्दे का जवाब नकारात्मक है।⁴⁴ तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। नतीजतन, सिविल सूट संख्या 46/ए/03 में 19 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसका शीर्षक श्री विजय बनाम डॉ. श्रीमती मृणालिनी देवी पौर है, उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. संख्या में 30.11.2009 के आदेश के अनुसार पारित किया गया है, जिसे विजय चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य के रूप में शीर्षक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 17.07.2001 आदेश को बहाल कर दिया गया है।
45. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे